

शिकागो का भेदभाव विरोधी कानून

नफरत संबंधी अपराध हमारे समुदाय और हमारे शहर की शांति भंग करते हैं, वहीं शिकागो को बनाने वाली विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान और अभिमूल्यन सफल पड़ोसी बनने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। शिकागो शहर नफरत और कट्टरता के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है, और इसके सभी निवासियों की सहायता से, हम नफरत संबंधी अपराध की घटनाओं को कम कर सकते हैं।

CCHR पर शिकागो के मानवाधिकार अध्यादेश और शिकागो फेयर हाउसिंग अध्यादेश को बलपूर्वक लागू करने का उत्तरदायित्व है। CCHR शिकायतों की जांच यह तय करने के लिए करता है कि क्या संभावित भेदभाव हुआ है या नहीं, और भेदभाव करने वालों को दंडित करने के लिए यह अपनी प्रवर्तन शक्तियों का उपयोग करता है। शहर के नफरत अपराध कानून के तहत एजेंसी नफरत संबंधी अपराध से पीड़ित लोगों की सहायता करती है। साथ ही CCHR शिक्षा, मध्यवर्तन, विधान का निर्माण करने के लिए सक्रिय कार्यक्रम नियोजित करके कट्टरता को हतोत्साहित करने और विभिन्न समूहों के लोगों को एक साथ लाने में कामयाब रहा है।

कमिश्नर मंडल

मोना नोरीगा, अध्यक्ष
जोआना बोरोवीक
रयान ड्युनिगन
नादरह एच. इलाबुदी
बिशप साइमन गॉर्डन
रोशेल ग्रीम्बो
स्टेफनी ए कांतर
रेहाद काजमी

रे जे. कोनिग, III
लीसा वाय. मोस्ले
डेविड जे. म्युसाट
नबीला रशीद
जूलियो रोज़िगेज
मार्क ए. रोज़िगेज
मिशेल शांग

हमसे संपर्क करें

मानव संबंधों पर शिकागो आयोग
740 उत्तर सेडग्विक स्ट्रीट, सूइट 400
शिकागो, इलिनोइस 60654

मैन: (312) 744-4111
फैक्स: (312) 744-1081
TTY: (312) 744-1088

email: cchr@cityofchicago.org
<http://www.cityofchicago.org/humanrelations>

शिकायत दर्ज करना

रोजगार: (312) 744-4474
आवास: (312) 744-5879
सार्वजनिक आवास: (312) 744-5879
क्रेडिट: (312) 744-5879

काउंसिल

अंश: (312) 744-2571
पुराने सैनिक: (312) 746-8894

सामुदायिक तनाव: (312) 744-2571
नफरत संबंधी अपराध: (312) 744-4874
शिक्षा कार्यशालाएं: (312) 744-2571



<https://www.facebook.com/ChicagoCHR>



अभी
नफरत
संबंधी
अपराधों को
बंद करें!



नफरत संबंधी अपराध क्या है?



नफरत संबंधी अपराधों में कट्टरता संबंधित क्रियाएं होती हैं, और ये वास्तविक या कथित वंश, रंग, सम्प्रदाय, लिंग, जाति, धर्म, यौन अभिविन्यास, शारीरिक या मानसिक विकलांगता (HIV की स्थिति सहित), या राष्ट्रीय मूल के कारण प्रतिबद्ध होती हैं। नफरत संबंधी अपराध न केवल पीड़ित को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उस समूह को भी नुकसान पहुंचाता है जिसमें लक्षित सदस्य शामिल होता है।

विशेष रूप से, ये विधेय अपराध अन्यायपूर्ण दुराचार माने जाएंगे और कम दंड वाले होंगे। हालांकि, पीड़ित और वास्तविक या कथित समूह जिससे वह संबंधित है के प्रति नफरत संबंधी अपराधों की भयावह प्रकृति के कारण कानून इन घोर अपराध को करने वालों को कठोर दंड देता है। घृणित अपराधों के अपराधियों के आपराधिक यदि कार्य पूजा स्थलों, स्कूलों, कब्रिस्तान या उद्यानों के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वे भी वर्धित दंड के अधीन हैं।

नफरत के अपराधों का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब मारपीट, हमला, तेज हमला, संपत्ति को आपराधिक नुकसान, वाहन या वास्तविक संपत्ति पर आपराधिक अतिक्रमण, उपद्रवी कार्रवाई, लूटपाट, टेलिफोन द्वारा उच्छेखल आचरण या उत्पीड़न जैसे अपराध किए जाते हैं और इन कार्यों का उद्देश्य विशिष्ट नफरत कायम करना होता है।

CCHR कैसे सहायता कर सकता है?

पीड़ित की वकालत: CCHR, शिकागो पुलिस विभाग की नागरिक अधिकार इकाई और कुक काउंटी राज्य के अटार्नी कार्यालय के साथ मिलकर, नफरत के अपराध से पीड़ित लोगों के लिए सहायता प्रदान करता है। CCHR स्टाफ और संबंधित समुदाय स्वयंसेवक पीड़ितों के साथ अदालत की सुनवाई के लिए उपलब्ध होते हैं, नफरत के अपराध से पीड़ितों के यहां जाकर समर्थन सेवाओं के लिए परामर्श प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चोटों से होने वाली क्षति के लिए नागरिक कोर्ट में नफरत के अपराध करने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए निःस्वार्थ रूप से (मुफ्त) कानूनी सहायता के परामर्श शामिल हो सकते हैं।

शिक्षा: भेदभाव, नफरत संबंधी अपराध और अंतर-समूह तनावों को रोकने और कम करने का मुख्य घटक शिक्षा है। CCHR स्कूलों, धार्मिक संस्थानों, युवा एजेंसियों, और सामुदायिक समूहों के लिए शिकागो मानवाधिकार और उचित आवास अध्यादेश, पक्षपात पराभाव, नफरत संबंधी अपराध, डराने-धमकाने, और विकलांग लोगों के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने जैसे विषयों पर मानव संबंधों के बारे में विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं और प्रस्तुतियां प्रस्तुत करता है। कार्यशाला के लिए अनुरोध करने या इन कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानने के लिए, CCHR से 312-744-2571 पर संपर्क करें।



अगर मैं किसी नफरत संबंधी अपराध का शिकार बनू तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपको लगता है कि आप किसी नफरत संबंधी अपराध का शिकार हुए हैं, तो **तुरंत 911 पर कॉल करें और शिकागो पुलिस विभाग को घटना की रिपोर्ट करें।** उन्हें विशेष रूप से बताएं कि आपको विश्वास है कि आप नफरत संबंधी अपराध के शिकार हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है! एक बार एक नफरत की घटना रिपोर्ट पुलिस को करने पर वे यह निर्धारित करेंगे कि क्या यह एक नफरत संबंधी अपराध था या नहीं। पुलिस विभाग इस घटना के CCHR को सूचित करेगा। CCHR का स्टाफ मामले की जांच और अभियोजन के माध्यम से जानकारी और समर्थन प्रदान करने के लिए पीड़ित से संपर्क करेगा।



नफरत संबंधी अपराधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, CCHR से (312) 744-4874 पर संपर्क करें।